17th June, 2021

Ref. No.: 101424/S/O/L-1/2021-22

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code – ASAHIINDIA

BSE Code – 515030

Sub: Publication of Audited Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021, as published in "Business Standard", all editions and "Veer Arjun", New Delhi on 17th June, 2021.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Ltd.,

Jay Dattani

For
Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: 5th, 6th & 8th Floor,
Tower-B, Global Business Park
Mehrauli -Gurgaon Road
Gurgaon- 122002 (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542
website : www.aisglass.com

Registered Office: Unit No.203 to 208, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi- 110065

Siva lenders to receive ₹5 crore cash upfront, take 94% haircut

To receive ₹318 crore of total dues amounting to ₹4,863 crore

DEV CHATTERJEE
Mumbai, 16 June

Siva Industries and Holdings' (Siva Industries') lenders, led by IDBI Bank, have approved a one-time settlement proposal of the firm under which they will take home ₹318 crore, with ₹ 5 crore as upfront cash, out of the company's total dues of ₹4,863 crore. This amounts to a haircut of 93.5 per cent.

According to the proposal, the lenders will get ₹313 crore, excluding the upfront payment, within 180 days of receiving the National Company Law Tribunal's (NCLT's) approval.

International Asset Reconstruction Company (IARCPL) and Masdar Energy of UAE have taken over 40 per cent of the loans from the banks after the default, said a Siva group source. "The IARCL bought Canara Bank's loan for ₹500 crore. Canara had an exposure of ₹1,150 crore and has already received ₹100 crore. It still has some land that is worth another ₹520 crore," said a source close to the development.

As a result, the lenders have filed an application under Section 12A of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) before the NCLT's Chennai Bench for withdrawing the proceedings against the company.

Siva Industries was admitted for bankruptcy proceedings on July 5, 2019. An initial offer from Royal Partners Investment Fund was rejected, and the resolution professional then filed the liquidation petition before the registry.

However, one of the shareholders, Vallal RCK, subsequently filed an application before NCLT, Chennai, on August 31, 2020, asking the committee of creditors (CoC) to consider the one-time settlement offer made by the promoter. In October last year, the NCLT directed the resolution professional to convene a meeting of CoC to consider the OTS.

In April, the CoC approved the OTS and the resolution professional was authorised by IDBI Bank to file an application under Section 12A of the IBC for withdrawal of bankruptcy proceedings. According to the OTS, the settlement amount will be paid from the funds/debt to be raised by the promoter either on its own or out of the proceeds from either sale of assets, raising debt or external capital raise using the assets offered as security to lenders.

Meanwhile, lenders have also agreed to withdraw all pending legal proceedings against Siva group companies as part of the resolution plan.

After the plan's approval, the existing board of directors of Siva Industries will be reinstated and after the receipt of the settlement amount, all accounts of Siva Industries will be regularised and called a "standard" asset.

The IBC was enacted by the Narendra Modi government to make sure that chronic defaulters are punished and their companies are sold to the highest bidder. However, barring a few success stories, recovery of dues from defaulters has fallen to new lows. Almost half the cases closed by Indians lenders under IBC in financial year 2020-21 ended in liquidation, while only 13 per cent of cases were resolved.

SETTLEMENT PLAN

Lender	Admitted claims (in ₹ cr)	Settlement amount (in ₹ cr)	% of recovery
Central Bank of India	403	45	11
LIC	354	160	45
SBI	281	25	9
Union Bank of India	645	20	3
IARCPL	1,148	15	1
IDBI Bank	876	37	4
PNB	306	4	1
Bank of India	74	1	1
Masdar Energy, UAE	777	11	1
Total	4,864	318	6.5

IARCPL: International Asset Reconstruction Company

Thomas Cook offers option to pay later, unveils new safety protocol

ANEESH PHADNIS
Mumbai, 16 June

Thomas Cook India and SOTC are offering customers an option to pay after returning from their holidays, and have introduced new safety protocols to attract customers.

The schemes address issues related to health and hygiene during travel, and also of financial risk of booking trips during the pandemic. The schemes were announced on Wednesday.

Customer travel expenses will be funded by a financial institution under the *Holiday First Pay When You Return* scheme. Thomas Cook and SOTC have tied up with an institution that will carry out a quick due diligence and assess the credit worthiness of a potential customer. There will be no additional charges payable to the institution.

"People are still worried about committing their money on travel and this scheme removes the risk completely," said Abraham Alapatt, president and group head (marketing) of Thomas Cook India.

Applyboard to leverage $300-mn funding to expand India operations

Canada-based edutech firm Applyboard plans to leverage part of $300 million fund it raised in series D round to expand its team in India by three-folds to around 900 employees in two years, a senior official of the company said. Applyboard has raised $300 million at an enterprise valuation of $3.2 billion led by Ontario Teachers' Pension Plan Board through its Teachers' Innovation Platform in the latest funding round. PTI

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU.

Indian Bank posts record Annual Profit of ₹ 3005 crores for FY 2020-21 post amalgamation

New IFSC of erstwhile Allahabad Bank will start with IDIB

Existing IFSC of erstwhile Allahabad Bank will be discontinued from 1st July 2021.

From 1st July 2021 new IFSC of erstwhile Allahabad Bank will be IDIB000XXXX

Remember to use only Indian Bank IFSC (Indian Financial System Code) starting with IDIB instead of erstwhile Allahabad Bank IFSC starting with ALLA for hassle free receipt of Inward "IMPS/NEFT/RTGS" Transaction. Customers please note to inform the concerned remitters.

Get New Cheque Book with updated IFSC & MICR before 30.09.2021.

Simple ways to get / know new IFSC of your Branch:

1. Visit our website www.indianbank.in>Home Page> Amalgamation tab> New IFSC/MICR/ Branch codes of erstwhile Allahabad Bank branches
2. SMS : Customer has to send SMS in the following format to 92668 01962 IFSC <SPACE><OLD IFSC> (Eg. IFSC ALLA0210999)
3. Call our Customer Care at 1800 425 00 000
4. Refer our SMS sent to registered Mobile number
5. Visit your branch
6. Scan the QR Code

Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.
1800 425 00 000 www.indianbank.in Follow us on :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

TENDER NOTICE
Empanelment of -03- Market Research Agencies

Bank of Baroda invites Request for Proposal for selection of three (3) Market Research Agencies from reputed and qualified Market Research Agencies for conducting various studies/surveys on behalf of the Bank.

Details are available under Tender Section on the Bank's website: **www.bankofbaroda.in**

"Addendum" if any, shall be issued on Bank's website **www.bankofbaroda.in** under tenders section. Bidder should refer the same before final submission of the proposal.

Last date of submission of the above tender will be 09.07.2021 at 3 p.m.

Place: Mumbai **Dy. General Manager**
Date: 17.06.2021 **Head – Marketing & Branding**
25/21-22

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

REQUEST FOR PROPOSAL

Bank of Baroda, Head Office, Vadodara invites response for Request for Proposal (RFP) for **"SELECTION OF VENDOR FOR PROCUREMENT, DELIVERY AND SERVICES OF BHIM AADHAAR PAY BIOMETRIC DEVICES"**

Details of RFP are available under 'Tender Section' on Bank's website: **www.bankofbaroda.in**

Addendum/Corrigendum including modification in the RFP document, if any, shall be notified on the Bank's website **www.bankofbaroda.in** only. Bidder should refer the same before final submission of the RFP.

Last date for submission of above RFP is 15.07.2021 by 1.00 PM.

Place: Vadodara **General Manager & Head**
Date: 17.06.2021 **Digital Banking & Payment Business**
27/21-22

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

FinTech Division, HO, Plot No. 5, Sector 32, Gurugram-122001

TENDER NOTICE

Punjab National Bank invites bids (both technical and commercial) from eligible bidders for **"Empanelment of FinTechs for Data Aggregation & Analytics Services".**

Interested bidders may visit our e-Procurement website **https://etender.pnbnet.in** or **www.pnbindia.in** for downloading the detailed RFE document. The bids are required to be submitted online using digital certificates (both signing and encryption) through our e-Procurement system. The Last date for online bid preparation and hash submission is **14.07.2021 till 1600 Hrs**. and bid submission is **15.07.2021 till 1400 Hrs**.

General Manager

EIH Limited

A MEMBER OF THE OBEROI GROUP

Registered Office: 4 Mangoe Lane, Kolkata – 700 001
Telephone: 91-33-22486751
Investor Service Division: 7, Sham Nath Marg, Delhi-110054
Telephone: 91-11-2389 0505
Website: www.eihltd.com **Email:** isdho@oberoigroup.com
CIN: L55101WB1949PLC017981

Notice to the Equity Shareholders of the Company

Sub: Transfer of Ordinary Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Account

Shareholders are hereby informed that in accordance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules), as amended from time to time, ordinary Equity shares of the Company, in respect of which dividend entitlement have remained unclaimed or unpaid for a consecutive period of Seven(7) years or more, are required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account of the Government of India.

As per records of the Company, unclaimed / unpaid dividend for the financial year 2013-14 i.e for the Financial year ended 31st March 2014 will be transferred to IEPF on or after 21st September 2021. The unclaimed / unpaid dividend for the Financial Year 2013-14 upto the Financial Year 2018-19 is presently lying with the Company.

In accordance with the IEPF Rules, the Concerned shareholders are given an opportunity to claim such dividend for the Financial Year 2013-14 onwards upto the Financial Year 2018-19 by sending a letter under their signature so as to reach Investor Service Division (ISD), EIH Limited, 7 Sham Nath Marg, Delhi – 110054 on or before 21st September, 2021. The Details of the concerned shareholders and ordinary Equity shares held by the Equity shareholders which, if not claimed, will be transferred to IEPF, are available on the Company's website www.eihltd.com under the section "Investor Relations". In case valid claim is not received by the ISD by the aforementioned date or such extended date, the Company will have no option but to take action towards transfer of the shares to IEPF, pursuant to IEPF Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Demat Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Demat Account as per IEPF Rules and upon such issue, the original shares certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate shares certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Demat Account pursuant to IEPF Rules.

Upon transfer of shares to IEPF, Shareholders can only claim the shares from the IEPF. For claiming such shares the shareholders are required to follow the procedure as under:

a) Make an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in along with the fee as may be prescribed by the Central Government from time to time;
b) Send a copy of the online application duly signed by him/her along with all documents mentioned in Form IEPF-5 to the Company's Investors Services Division, 7, Sham Nath Marg, Delhi – 110 054 for verification of his/her claim;
c) The Company shall, within 30 days of receipt of the claim form, send a verification report to the IEPF Authority along with all documents submitted by the claimant;
d) On verification, the IEPF Authority shall release the shares directly to the claimant.

Individual Notice in this regard have been sent to the concerned Shareholders by Registered post on 16th June 2021 at the address available in the Register of shareholders. For any query on the subject matter, the shareholders may write to ISD, EIH Limited, 7 Sham Nath Marg, Delhi -110054 or send e-mail at isdho@oberoigroup.com, invcom@oberoigroup.com or by calling telephone no. 011-23890505 .

For EIH Limited
S.N.Sridhar
Sr. Vice President & Company Secretary

Place: Delhi
Date: 17th June 2021

Manaksia Limited

Corporate Identity Number: L74950WB1984PLC038336
Registered office : Turner Morrison Building, 6 Lyons Range, Mezzanine Floor, North-West Corner, Kolkata - 700001
E-mail: investor.relations@manaksia.com, Website: www.manaksia.com; Phone: +91-33-2231 0055

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31st March 2021	Year Ended 31st March 2021	Quarter Ended 31st March 2020	Year Ended 31st March 2020
Income from Operations	23380.48	86103.83	22644.51	85608.95
Total Revenue	24323.49	89368.28	23506.70	91931.15
Net Profit/(Loss) before taxes	1680.19	9606.82	1966.69	8764.72
Net Profit/(Loss) after taxes	378.95	6461.33	1690.13	6104.73
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax]	713.38	204.71	(9607.76)	(2245.71)
Equity Share Capital	1310.68	1310.68	1310.68	1310.68
Other Equity (excluding revaluation resreve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	94303.36	-	94595.90
Earnings per share (of Rs 2/- each) (Not annualised): (a) Basic (₹)	0.41	9.10	2.35	8.94
(b) Diluted (₹)	0.41	9.10	2.35	8.94

Key numbers of Standalone Financial Results :

Particulars	Quarter Ended 31st March 2021	Year Ended 31st March 2021	Quarter Ended 31st March 2020	Year Ended 31st March 2020
Income from Operations	619.23	2674.24	1280.45	3631.45
Total Revenue	3348.65	5639.57	1310.91	11094.49
Net Profit/(Loss) before taxes	1124.84	786.07	(216.43)	6573.88
Net Profit/(Loss) after taxes	765.08	420.64	(226.81)	5278.01

NOTES :

(a) The above financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2021 have been reviewed and recommended by the audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 15th June, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out Audit of these results and the results are being published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(b) The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.

(c) The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2021 / March 31, 2020 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2020 / December 31, 2019, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subject to limited review.

(d) The Board of Directors of the Company has recommended Dividend of Rs.3/- (150%) for the financial year ended 31st March 2021.

(e) During the Year ended 31st March 2021, Nigeria's Currency has devalued leading to considerable foreign exchange translation loss on reinstatement of Nigerian Subsidiaries Accounts in consolidated financial statement.

(f) Comparative figures have been rearrangd / regrouped wherever necessary.

(g) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021 are available at the Company's website www.manaksia.com and websites of all Stock Exchanges, where the Equity shares of the Company are listed.

(h) The first half of the Financial Year 2020-21 was a challenging period with the uncertainties and complexities brought on by the COVID -19 pandemic. The World Economy and steel demand has been improving since then with accommodative policies, government spending and relaxation in mobility restrictions. The Group has assessed the possible impact of COVID-19 on its financial statements based on the internal and external information available up to the date of approval of these financial results and concluded no adjustment is required in these results. The Group continues to monitor the future economic conditions.

For and on behalf of the Board of Directors
Manaksia Limited
Sd/-
Suresh Kumar Agrawal
(Managing Director)
DIN- 00520769

Place : Kolkata
Date : 15th June, 2021

ASAHI INDIA GLASS LIMITED

AIS

CIN: L26102DL1984PLC019542
Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. **Phone:** (011) 49454900
Corporate Office: 5th Floor, Tower B, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurugram – 122 002 (Haryana). **Phone:** (0124) 4062212-19, **Fax:** (0124) 4062244/88
Email: investorrelations@aisglass.com, **Website:** www.aisglass.com

AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2021 Audited	Year ended 31.03.2021 Audited	Quarter ended 31.03.2020 Audited	Year ended 31.03.2020 Audited
1	Total Income from Operations	82,986	2,45,748	60,111	2,65,613
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	13,241	20,486	2,049	17,069
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	13,241	20,486	2,049	17,069
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	8,419	13,066	5,188	15,124
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8,785	13,512	5,067	14,644
6	Equity Share Capital	2,431	2,431	2,431	2,431
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		1,27,793		
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (a) Basic	3.48	5.47	2.16	6.32
	(b) Diluted	3.48	5.47	2.16	6.32

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2021 Audited	Year ended 31.03.2021 Audited	Quarter ended 31.03.2020 Audited	Year ended 31.03.2020 Audited
1	Total Income from Operations	81,890	2,42,041	59,299	2,61,470
2	Profit before tax	13,410	21,798	2,537	18,416
3	Profit after tax	8,473	13,884	5,582	15,991

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively and on company's website at www.aisglass.com.
2. The above financial results have been reviewed by the Audit & Risk Management Committee on 15th June, 2021 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 16th June, 2021.
3. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
4. The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 1/- per equity share of face value of ₹ 1/- each for financial year 2020-21. The payment is subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company.
5. During the quarter, the Company has commenced first phase of its Automotive glass plant at Patan, Gujarat.

For and on behalf of Board of Directors

Sanjay Labroo
Managing Director & C.E.O.

Place : Gurugram
Date : 16th June, 2021

दिल्ली : पति ने पत्नी की हत्या की, गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली पुलिस ने पत्नी की हत्या करने और फर्जी कहानी बनाकर कर जांचकर्ताओं को गुमराह करने के आरोप में 25 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि विकास का अपनी किसी रिश्तेदार के साथ विवाहेत्तरसंबंध था जिसपर उसकी पत्नी प्रियंका को ऐतराज था, इसलिए उसने कथित रूप से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दंपति के बीच उनके नवजात बच्चे का ध्यान रखने को लेकर भी मतभेद थे। पुलिस ने कहा कि मंगलवार को विकास का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और रात में उसने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि प्रियंका का कत्ल करने के बाद विकास ने अपने जानकार से पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में फोन कराया। उसने कहा कि दक्षिण दिल्ली रनहोला इलाके में उसके घर में चोर घुस आया और उसकी पत्नी की हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि महिला के गले पर चोट के निशान हैं और शव बेड पर पड़ा है।

बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) परविंदर सिंह ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज किया गया और जब विकास से पूछताछ की गई तो उसने शुरू में कहा कि घर में चोर घुस आया था और पत्नी की हत्या करने के बाद भाग गया। उन्होंने कहा, छानबीन के दौरान पता चला कि विकास और प्रियंका अपने नवजात बच्चे के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। जो बात विकास ने बताई वे ठोस नहीं लगी। मौके का बारीकी से मुआयना किया गया तो पता चला कि घर के न तो मुख्य दरवाजे और न ही अन्य दरवाजों के साथ बाहर से छेड़छाड़ की गई। सिंह ने बताया कि जब विकास ने उसके शरीर पर मामूली चोटों के बारे में सवाल किया गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और लगातार पूछताछ के बाद विकास ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है क्योंकि वह उसके विवाहेत्तर संबंध पर आपत्ति जताती थी।

6 जुआरी पकड़े, 49 हजार रुपए बरामद

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। शाहदरा जिले की पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इनकी पहचान जसपाल, रामजीवन, अजय कुमार, राजीव, ब्रिज मोहन और राज कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 49,470 रुपए कैश और सट्टे की पर्चियां व ताश की तीन गड्डियां बरामद की है।

डीसीपी शाहदरा आर. साथिया सुंदरम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसआई नितिन, हैड कांस्टेबल अनुज कुमार, मनमोहन, कांस्टेबल सुमित, लोकेश, मोहित, यशवीर, हरी ओम व अजेन्दर की टीम इलाके से पेट्रोलिंग कर रही थी तभी उन्हें एक सीक्रेट इनपुट मिला जिससे पता चला कि भीकम सिंह कालोनी, विश्वास नगर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने तुरंत बताई गई जगह पर रेड डालकर जुआ खेलते हुए 6 लोगों को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया।

दो वाहन चोर अरेस्ट, 9 दोपहिया बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और उनसे बरामद बाइकें व स्कूटी।

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। मध्य जिले के वाहन निरोधक दस्ते की टीम ने वाहन चोरी और रिसीविंग के आरोप में दो युवकों को अरेस्ट किया है। इनकी पहचान मेवात, हरियाणा के रहने वाले साजिद और मुस्तफा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 9 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं जिसमें 6 बाइकें और तीन स्कूटी शामिल है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाहन निरोधक दस्ते की टीम ने इन आरोपियों के बारे में कुछ इनपुट इकट्ठा किए। इस इनपुट पर कार्रवाई करने के लिए एसीपी योगेश मल्होत्रा के सुपरविजन और एसआई संदीप गोदारा के नेतृत्व में एसआई रविशंकर त्यागी, इस्लामुद्दीन एएसआई कंवर पाल, विनोद कुमार हैड कांस्टेबल विनोद, सुरेन्दर, राकेश, प्रवीण, अतुल और राजेश की एक टीम गठित की गई जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जीबी रोड रेड लाइट के पास ट्रेप लगाकर दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं। यह लोग मेवात से दिल्ली बाइक चुराने आते थे और फिर इसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सस्ती कीमत पर बेच दिया करते थे। पुलिस टीम ने इनकी निशानदेही पर 9 दोपहिया वाहन बरामद किए है।

अदालत ने छात्र कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई पर आदेश टाला

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली की एक अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र कार्यकर्ताओं- नताशा नरवाल और देवांगना कालिता की तत्काल रिहाई पर बुधवार को अपना आदेश बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दिया। इन छात्र कार्यकर्ताओं को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने कहा, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सूचीबद्ध जमानत आवेदनों के भारी भार के चलते आदेश पारित नहीं किया जा सका। इसे कल पूर्वाह्न 11 बजे के लिए रखिए।

न्यायाधीश ने इससे पहले, आज अभियोजन और आरोपियों के वकीलों की लंबी दलील सुनने के बाद आदेश आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा को भी कल जमानत दे दी थी।

गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने तत्काल रिहाई के लिए निचली अदालत से संपर्क किया था।

कार्यवाही के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से पहले उनके पते, जमानतदारों तथा आधार कार्ड के सत्यापन के लिए अदालत से और समय मांगा। न्यायाधीश को बताया गया कि सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने में तीन दिन लगेंगे। आरोपियों की ओर से पेश वकील अदित पुजारी ने आरोप लगाया कि पुलिस उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपियों की रिहाई में जानबूझकर विलंब कर रही है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

साली का मोबाइल हैक कर पत्नी से सवा आठ लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा

नोएडा, (वीअ)। जिले के थाना सूरजपुर में एक व्यक्ति ने, अपनी साली का मोबाइल फोन हैक करके उसके माध्यम से उनकी पत्नी से 8,30,000 रूपए ठग लेने के आरोप में एक साइबर ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बुधवार को बताया कि मनोज अयोध्यावासी नामक व्यक्ति ने थाना सूरजपुर में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उसने कहा है कि उनकी साली के फोन से उनकी पत्नी के फोन पर व्हाट्सएप फोन तथा मैसेज आया जिसमें उनसे 8,30,000 रूपए की मांग की गई। मनोज की शिकायत के अनुसार, उनकी पत्नी ने यह रकम मैसेज करने वाले द्वारा दिए गए खाते में हस्तांतरित कर दिये। उन्होंने बताया कि बाद में पता चला कि उनकी साली का फोन हैक करके, किसी साइबर ठग ने यह रकम उनसे अपने खाते में डलवा ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि यह रकम बंटी राम नामक व्यक्ति के खाते में गई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कंपनी के मालिक ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

नोएडा, (वीअ)। जिले के सेक्टर 63 में स्थित एक कंपनी के मालिक ने दो व्यक्तियों तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के खिलाफ करीब ढाई लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। थाना फेस- 3 के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बुधवार को बताया कि सेक्टर 63 के सी- ब्लॉक में कंपनी चलाने वाले नवीन कुमार ने थाने में धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि विनोद कुमार, जयराम तथा अज्ञात बैंक कर्मियों ने मिलीभगत कर उनके चेक पर फर्जी हस्ताक्षर किए तथा उनके खाते से 2,46,000 रुपए निकाल लिये। त्रिवेदी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पड़ोसी ने किया नाबालिग से बलात्कार

नोएडा, (वीअ)। नोएडा में थाना बिसरख क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का उसके गांव में ही रहने वाले 18 वर्षीय युवक ने बीती रात को कथित तौर पर बलात्कार किया। आरोपी ने किशोरी के पिता के साथ भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने बुधवार सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के हैबतपुर गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का उसके पड़ोसी रेहान ने बीती रात को बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि जब आरोपी किशोरी का बलात्कार कर रहा था, उस समय किशोरी का पिता वहां पर पहुंच गया। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। उपायुक्त ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी रेहान को आज गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पीडिता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

छत्रसाल स्टेडियम मामले में जूडो प्रशिक्षक गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वीअ)। छत्रसाल स्टेडियम झगड़ा मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को एक जूडो प्रशिक्षक को गिरफ्तार किया। इस घटना में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार आरोपी है जिसमें एक पहलवान की मौत हो गई थी तथा उसके दो साथी घायल हो गए थे।पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जूडो प्रशिक्षक सुभाष को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।सुशील कुमार और उसके साथियों ने संपत्ति विवाद में चार-पांच मई की दरमियानी रात को पहलवान सागर धनखड़ तथा उसके दो साथियों सोनू और अमित कुमार के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। बाद में 23 वर्षीय धनखड़ की मौत हो गई।सुशील कुमार और सह आरोपी अजय कुमार को दिल्ली के मुंडका इलाके से 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।शुक्रवार को जिला अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं। पुलिस ने सुशील कुमार को घटना का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं जिसमें सुशील और उसके साथियों को धनखड़ को पीटते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें सुशील और उसके सहयोगी एक व्यक्ति को स्टिक से पीटते नजर आए। पुलिस ने 31 मई को सुशील का हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया।

नीना सतपाल राठी के सहयोग से लगा 16वां वैक्सीनेशन कैम्प, 250 ने लगवाया टीका

राकेश पंवार

बहादुरगढ़। ओमेक्स सिटी स्थित पंडित जयनारायण धर्मार्थ ट्रस्ट औषधालय श्रीराम मंदिर परिसर में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया गया। इसमें 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के 250 युवाओं ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवाई। भाजपा महिला मोर्चा झज्जर की अध्यक्ष एवं नगर पार्षद डा. नीना सतपाल राठी के सहयोग से यह 16वां वैक्सीनेशन कैम्प रहा। कैम्प के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों में खास उत्साह देखने को मिला।

ट्रस्ट अध्यक्ष पंडित अत्तर सिंह कौशिक व संतोष कौशिक ने कैम्प में विशेष सहयोग देने वाली व कैम्प की अध्यक्षता करने वाली भाजपा नेत्री डा. नीना सतपाल राठी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वारियर्स डाक्टर गगन जैन, नर्सिंग स्टॉफ व उनकी पूरी टीम का फूल मालाओं से जोरदार अभिनंदन किया और उनके सेवा भाव कार्य की खूब प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर व अन्य पैरा मेडिकल स्टॉफ के अलावा अन्य विभागों से जुड़े कोरोना वारियर्स पूरी सजीदंगी के साथ कर्तव्यनिष्ठा से कार्य कर रहे हैं। वे अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दूसरों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। कैम्प के दौरान मुख्य तौर मौजूद भाजपा महिला मोर्चा झज्जर की अध्यक्ष एवं नगर पार्षद डा. नीना सतपाल राठी ने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया कि कोविड़-19 से घबराने की बजाय सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका जरुर लगवाए। कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का काम करती है। उन्होंने कहा कि जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति बिना वजह घरों से बाहर न निकलें। जरुरी काम होने पर बाहर जाते समय फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें। भाजपा नेत्री डा. नीना सतपाल राठी ने बताया कि उनके सहयोग से यह 16वां वैक्सीनेशन कैम्प लगाया गया है। जिनका अभी तक काफी संख्या में लोग फायदा उठा चुके हैं।

लूटपाट के आरोप में सात लोग गिरफ्तार

नोएडा, (वीअ)। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूटपाट के आरोप में सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।अपर पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार की रात को गश्त पर निकली एक पुलिस टीम ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर सुदामापुरी पुलिया के पास से सुनील, हरसू, सूरज, पुनीत, आकाश, हर्ष और राजू को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके पास से देसी तमंचा, कारतूस, दो चाकू, विभिन्न जगहों से लूटी हुई तीन मोटरसाइकिल और 7800 रुपए के जाली नोट बरामद किये है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लूटपाट की 200 से ज्यादा वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है।

अवैध शराब मामले में एक गिरफ्तार, 20 बोतल अवैध शराब बरामद

सोनीपत, (राजेश आहूजा)। जिले के थाना गन्नौर की पुलिस ने अवैध शराब की घटना में संलिप्त आरोपी को गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी बिजेन्द्र उर्फ काला पुत्र बलवान निवासी भांवर जिला सोनीपत का रहने वाला है।

थाना गन्नौर पुलिस ने आरोपी बिजेन्द्र उर्फ काला पुत्र बलवान निवासी भांवर को ईक्को गाड़ी में अवैध शराब सहित गिरफतार किया है। मौका से 20 बोतल अवैध अंग्रेजी व देशी शराब बरामद की है। गिरफतार आरोपी के विरूद्ध थाना गन्नौर में अभियोग दर्ज किया गया है। गिरफतार आरोपी ने बताया कि इस अवैध शराब को बेचने की फिराक में था।

दिल्ली में गति सीमा का उल्लंघन करने पर एक सप्ताह में 48 हजार से अधिक चालान जारी हुए

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली यातायात पुलिस ने गति सीमा से अधिक पर रफ्तार पर गाड़ी चलाने के लिए एक सप्ताह में 48,000 से अधिक चालान जारी किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यातायात पुलिस ने गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने संबंधी अधिसूचना आठ जून से संशोधित की थी।

पुलिस के अनुसार, सात जून से 13 जून तक कुल 48,412 जारी किए गए जिनमें से 48,311 ऑनलाइन और 101 हाथोंहाथ जारी किए गए। यातायात पुलिस ने आठ जून को जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और एयरपोर्ट मार्ग जैसे रास्तों पर कार और टैक्सी के लिए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाजार और आवासीय क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की थी।

गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने वालों के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार से चालान जारी किया जाता है। पुलिस ने बताया कि पहला तरीका है ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर (ओएसवीडी) प्रणाली। इस प्रक्रिया में किसी सड़क पर कैमरा लगा होता है जो वाहन की गति मापता है। बाद में वह डेटाबेस से आंकड़े लेता है और गति सीमा का उल्लंघन करने वालों को संदेश भेजता है।

उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका है ट्राईपॉड इंटरसेप्टर कैमरा जिसे एक ट्राइपॉड के ऊपर लगाया जाता है और वह वाहन की गति माप लेता है। बाद में पुलिस वाहन को रोकने और चालान जारी करने का काम करती है। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) ताज हसन ने कहा कि गति सीमा में बदलाव को ठीक कर लिया गया है।

हसन ने कहा, एक वर्ग के निजी और वाणिज्यिक वाहनों को एक ही श्रेणी में लाया गया है।

हम ओएसवीडी के जरिये इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी कर रहे हैं। दोपहिया वाहनों के लिए भी गति सीमा तय कर दी गई है। कुछ सड़कों पर गति सीमा में बदलाव था जिसे ठीक कर दिया गया है।

नोएडा: महिला ने युवक पर बलात्कार, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया

नोएडा (उप्र), (भाषा)। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में एक युवक के साथ लिव- इन रिलेशनशिप में रहने वाली तलाकशुदा महिला ने बलात्कार करने, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने व लाखों रुपए हड़पने का मुकदमा थाना बिसरख में दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे बुधवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि शाहबेरी गांव में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला ने थाना बिसरख में 14 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि मुर्तजा उर्फ मृत्युंजय पुत्र अबरार हुसैन ने उसके साथ शादी का वादा करके दोस्ती की तथा काफी दिनों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा।

शुक्ला ने बताया कि महिला का आरोप है कि जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करे, उसके बाद वह उसके साथ शादी करेगा। उन्होंने बताया कि महिला ने मुर्तजा पर ढाई लाख रुपये हड़पने का भी आरोप लगाया है। अधिकारी ने कहा कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

चोरी की गई फॉच्युनर कार को क्राइम ब्रांच एनआईटी ने पानीपत से किया बरामद

फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच एनआईटी की पुलिस टीम ने चोरी की गई लग्जरी कार फॉच्युनर को पानीपत के बड़वाड़ माजरी गांव से बरामद करने में कामयाबी पाई है। मार्च 2021 में एनआईटी थाने में वाहन मालिक द्वारा उनकी लग्जरी कार फाच्र्यूनर को अज्ञात द्वारा चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा सूत्रों व तकनीकी मदद से पता चला कि पानीपत के बड़वाड़ माजरी गांव में नकली राम के बेटे धीरज के घर चोरी की फाच्र्यूनर गाड़ी खड़ी है। बरामदगी की रणनीति बनाते हुए क्राइम ब्रांच की टीम बड़वाड़ माजरी गांव पहुंची और धीरज के घर की घेराबंदी करने की तैयारी करने लगी। धीरज को जैसे ही पुलिस के आने की सूचना मिली, वह घर छोड़कर भाग गया। अतत: पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए फाच्र्यूनर कार बरामद कर ही ली और गाड़ी को अपने साथ फरीदाबाद ले आई। पुलिस द्वारा आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद वाहन को उनके मालिक को सौंप दिया गया। आरोपी की तलाश जारी है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

चोरी की बाइक सहित आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

सोनीपत, (राजेश आहूजा)। जिले के थाना राई की पुलिस ने चोरी की बाईक सहित आरोपी को गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी श्रीऔम पुत्र रणबीर निवासी जाखौली जिला सोनीपत का रहने वाला है। थाना राई पुलिस को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि एक युवक चोरी की अपाचे मोटरसाईकिल को लेकर इधर से आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने ट्रैप लगा दी। कुछ समय उपरान्त एक युवक को उक्त मोटरसाईकिल पर आता देख रूकने का इशारा किया। जिसके रूकने पर कागजात दिखाने को कहा तो वह इसका कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सका। जिसको काबू करके नाम व पता पूछा तो अपनी पहचान आरोपी श्रीऔम पुत्र रणबीर निवासी जाखौली के रूप में दी। गिरफतार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इस मोटरसाईकिल को जनवरी में टीडीआई टस्कन से चोरी करने की घटना को अन्जाम दिया था। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।

92 ग्राम गांजा सहित पुलिस ने किया एक को काबू

सोनीपत, (राजेश आहूजा)। जिले के थाना खरखौदा की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी शाहिदुल इस्लाम पुत्र युनुस अली निवासी ठकुरानी जिला डूबरी आसाम हाल औद्योगिक क्षेत्र फिरोजपुर बांगर जिला सोनीपत को गिरफतार किया है। खरखौदा पुलिस को औद्योगिक क्षेत्र फिरोजपुर बांगर में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घुमता हुआ दिखाई दिया। जिसको काबू करके नाम व पता पूछा तो अपनी पहचान शाहिदुल इस्लाम पुत्र युनुस अली निवासी ठकुरानी जिला डूबरी आसाम हाल औद्योगिक क्षेत्र फिरोजपुर बांगर के रूप में दी। पर्यवेक्षण अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने पर इसके कब्जा से 92 ग्राम अवैध गांजा मिला। गिरफतार आरोपी के विरूद्ध थाना खरखौदा में मामला दर्ज किया गया। गिरफतार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इस अवैध गांजा को बवाना दिल्ली से 1200 रूपये में खरीदकर लाया था। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(CIN : L74899DL1986PLC023202)

पंजीकृत कार्यालय: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020

फोन : +911147334100 फैक्स : +911126811676

ई-मेल : investorrelations@shardamotor.com, वेबसाइट : www.shardamotor.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 23 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

2) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, पर विचार एवं अनुशंसा की जाएगी।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.comपर भी देखा जा सकता है।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
नितिन विश्नोई
कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव

तिथि : 16 जून, 2021
स्थान : नई दिल्ली

ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन

उत्तर रेलवे द्वारा गाज़ियाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली सेक्शन के बी पैनल–तिलक ब्रिज स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 31 के अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा। इस कार्य के संपादन हेतु उत्तर रेलवे द्वारा 3.30 घंटे के 8 ट्रैफिक ब्लॉक्स लिए जाएंगे और 30 दिनों तक 20 कि.मी. प्रति घंटा की गति सीमा लागू रहेगी। इस दौरान निम्नलिखित रेलगाड़ियां उनके समक्ष दर्शाई गई तिथियों को परिवर्तित मार्ग पर निम्नानुसार संचालित की जाएगी:–

रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन

रेलगाड़ी सं. एवं रेलगाड़ी का नाम	परिवर्तित मार्ग	यात्रा प्रारम्भ होने की तिथि
04200 बलरामपुर–ग्वालियर सुशासन सुपरफास्ट विशेष	साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जं.– नई दिल्ली–ह. निज़ामुद्दीन से चलेगी	17.06.2021, 24.06.2021 एवं 01.07.2021
03391 राजगीर – नई दिल्ली विशेष	साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जं.– नई दिल्ली से चलेगी	17.06.2021, 20.06.2021, 24.06.2021, 27.06.2021, 01.07.2021, 04.07.2021 एवं 07.07.2021

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन एवं उनकी विस्तृत समय–सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट: www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

रेलमदद वेबसाइट देखें : www.railmadad.indianrailways.gov.in

रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

उत्तर रेलवे

1330/2021

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

AIS

CIN : L26102DL 1984PLC019542

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 203 से 208, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065,

फोन : (011) 49454900

कॉर्पोरेट कार्यालय: 5वां तल, टॉवर-बी, ग्लोबल बिजनैस पार्क, महरौली-गुड़गांव रोड, गुड़गांव-122002 (हरियाणा)

फोन : (0124) 4062212-19, फैक्स : (0124) 4062244/88

ई-मेल : Investorrelations@aisglass.com, वेबसाइट : www.aisglass.com

31 मार्च, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	82,906	2,45,748	60,111	2,65,613
2	अवधि के लिए निवल लाभ (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	13,241	20,486	2,049	17,069
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	13,241	20,486	2,049	17,069
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	8,419	13,066	5,188	15,124
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	8,785	13,512	5,067	14,644
6	इक्विटी शेयर पूंजी	2,431	2,431	2,431	2,431
7	आरक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)		1,27,793		
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए) क) मूल ख) तनुकृत	3.48 3.48	5.47 5.47	2.16 2.16	6.32 6.32

31 मार्च, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वर्ष के लिए मुख्य एकल वित्तीय जानकारी

रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	81,890	2,42,041	59,299	2,61,470
2	कर पूर्व लाभ	13,410	21,798	2,537	18,416
3	कर पश्चात लाभ	8,473	13,884	5,582	15,991

1. उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट www.bseIndia.com और www.nseindia.com कम्पनी की वेबसाइट www.aisglass.com पर उपलब्ध है।

2.उपरोक्त परिणामों की 16 जून, 2021 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3.कम्पनी के वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों और भारत में सामान्यता स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित इंड एएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में मान्यताप्राप्त एवं मापक सिद्धांतों के अधीन कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (''इंड एएस'') के अनुरूप तैयार किया गया है।

4.निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक के रु. 1 प्रति इक्विटी शेयर के लाभाश की अनुशंसा की है। भुगतान कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

5.तिमाही के दौरान, कम्पनी ने पाटन, गुजरात में अपने ऑटोमोटिव ग्लास प्लांट के पहले चरण को प्रारंभ किया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
संजय लबरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 16 जून, 2021